

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आर०एम० वाद सं०-01/2019-20

अभिलेख उपस्थापित :- अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक-91

20.10.2020 दिनांक-13/02/2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हैं। अभिलेख के साथ संलग्न जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है।


1. हल्का कर्मचारी के आधार आवेदिका विपत्ती देवी पति-स्व० चहबर महतो, ग्राम-बड़ा चांगडू, थाना-सिल्ली, जिला-राँची की निवासी थी। स्थानीय जाँच के अनुसार आवेदिका की मृत्यु हो चुकी है। अतः बिक्री की अनुमति नहीं दी जा सकती है।


अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में अनुमति वाद को अस्वीकृत किया जाता है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
ईचाहातु	सोनाहातु(राहे ओ०पी०)/43	66	888	50 डी०

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू (राँची)।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू (राँची)।